संख्या-04/2025/1750/78-2-2025-ई-252330

प्रेषक,

अर्जुन देव भारती,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी,2025

विषय: उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत नागरिक केन्द्रीय सेवाओं को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार किये जा रहे सुगम यात्रा पोर्टल के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि के परिपेक्ष में वित्तीय वर्ष 2024-25 में माईलस्टोन-2 के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी: साफ्टवेयर:3108:2024-25:1029:1604 दिनांक 08-11-2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में यात्री सुविधाओं के दृष्टिगत नागरिक केन्द्रीय सेवाओं को पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार किये जा रहे सुगम यात्रा पोर्टल के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-250.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से आईटी पूल फण्ड की गाइड लाइन के अनुसार माइलस्टोन-2 के सापेक्ष अनुमोदित धनराशि रू0-1,53,52,095.00 के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में 30 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0-46,05,628.00 (रूपये छियालीस लाख पाँच हजार छः सौ अठाईस रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1. निदेशक, उद्योग द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5,भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक,उद्योग,लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक, उद्योग,कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
4. धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर तात्कालिक आवश्यकता होने पर वास्तविक व्यय के आधार पर ही राजकोष से किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसके भुगतान में संबधित योजना में निविदा /कार्यादेश की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।स्वीकृत धनराशि का उपयोग /व्यय इसी वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. भुगतान से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सम्बन्धित कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लेंगे तथा प्रस्तुत बिलों को सत्यापित करा लेंगे। कार्यदायी संस्था के देयकों का नियमानुसार तत्काल भुगतान कर उसकी सूचना अविलम्ब प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04-03-2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी धनराशि से सम्बन्धित ऑकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की जा रही है। स्वीकृत कार्यों से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी (सक्षम स्तर) द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज,निदेशक,उद्योग कानपुर,वित्त विभाग तथा आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग "आईटी पूलफण्ड की गाइडलाइन" एवं ई-गवर्नेन्स हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों / प्रोजेक्ट के आरएफपी के अनुसार ही किया जायेगा।
11. प्रोजेक्ट के संदर्भ में कार्यनिष्पादन आख्या प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983, शानसादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
13. स्वीकृति धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी का होगा।
14. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन का जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी जिम्मेदार होगें।
15. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक रूप से करा लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।
16. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी यह सुनिश्चित कर लेगें कि किसी भी स्थिति में दोहरा भुगतान न किया जाए।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-46,05,628.00 (रूपये छियालीस लाख पाँच हजार छः सौ अठाईस रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
8. राज्य समन्वयक, सीईजी, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
12. अनु सचिव/ नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवं इले0 विभाग उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।